

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 1979/पौष 19, 1900
No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9, 1979/PAUSA 19, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 1979

अभिसूचना

सा. का. नि. 24(अ).—केंद्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)
की धारा 642 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, कम्पनी (केंद्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 में और संशोधन
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम कम्पनी (केंद्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप
(संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 में, नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“12क. धारा 396 (3) :—धारा 396 की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए, कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक को, उक्त उपधारा के अधीन, सम्मिलित होने वाली प्रत्येक कम्पनी के किसी सदस्य या लेनदार (जिसके अन्तर्गत कोई डिबेंचर धारक भी है) को संदेश प्रतिकर का अवधारण करने का प्राधिकार होगा”।

[फा. सं. 5/12/78-सी एल 5]

ए. नीलकण्ठन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1979

G.S.R. 24(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, after rule 12, the following rule shall be inserted, namely :—

“12A. Section 396(3).—For the purpose of sub-section (3) of section 396, the Joint Director (Accounts) in the Department of Company Affairs at New Delhi shall be the authority to assess the compensation payable to a member or creditor (including a debenture holder) of each of the companies amalgamating, under that sub-section.”

[File No. 5/12/78-C.L.V]

A. NEELAKANTAN, Jt. Secy